

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी. तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति  
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025  
अन्तिम अंक का प्रकाशन

संख्या:-पीआरपीबी-बी(होमगार्ड्स संवर्ग)-02/2025

दिनांक- अक्टूबर 24, 2026

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट-2025 के अन्तर्गत समस्त जनपदों के होमगार्ड्स के कुल 41,424 रिक्ता पदों को भरे जाने हेतु समाक विज्ञप्ति दिनांकित 18-11-2025 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड की वेबसाइट <https://uppbpb.gov.in> पर अन्तिम चयन परिणाम दिनांक 03-10-2026 को घोषित किया जा चुका है।

2- इस क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत एनरोलमेंट में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के अन्तिम अंक प्राप्त करने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 24-10-2026 से दिनांक 23-11-2026 तक उपलब्ध रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरान्त यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने पर उनके अन्तिम अंकों की सूचना बोर्ड द्वारा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेगी।

3- अभ्यर्थी अपना अन्तिम अंक देखने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन संख्या एवं जन्म तिथि अंकित कर पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा "Click here for Final Score" के टैब पर क्लिक करके अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी पर अन्तिम अंक प्राप्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकृत ई-मेल अकाउंट सक्रिय रखें।

4- यदि किसी अभ्यर्थी को अपना अन्तिम अंक देखने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो वह पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पडेस्क नम्बर के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करा सकता है।

5- अन्तिम अंकों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित है कि यद्यपि इसे तैयार करने एवं वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिये बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुगन्ध होगा।

6- इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक् से कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

अपर सचिव (भर्ती) / परीक्षा नियंत्रक  
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ

24.10.26